

NOC  
ST/1/1/1  
G/1/1/1

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल

वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक- एक 73- 20-3/200

भोपाल, दिनांक -

जुन 2003

प्रति,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
प्रोता विहार, नई दिल्ली ।

विषय :- अशासकीय संस्था को सी.बी.एस.ई. / आर्ट्स-सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु एन.ओ. देने बाबत ।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय को सी.बी.एस.ई. / आर्ट्स-सी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनुरोध प्रमाण पत्र विशेष प्रकरण मानकर निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है :-

01. संस्था को अपनी कार्य समिति में एक प्रतिनिधि जिसे शिक्षा मण्डल को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा या उनके प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पजीयक (परीक्षा) को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य है ।
02. निर्दिष्ट निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना होगा ।
03. मध्य प्रदेश शासन द्वारा शिक्षा के प्रकार-प्रकार के लिए लिये गये निर्णयों में यदि संस्था से किन्हीं कार्यों की अपेक्षा की जाती है तो ऐसे कार्यों को संस्था को करना होगा ।
04. केंद्रगत गतिविधियों में यदि संस्था वाले भी उपस्थित रहेंगे तो परन्तु ऐसा न होने पर भी यदि मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी भी परिवार या भवन को आवश्यकता पड़ेगी

05. राष्ट्रीय कार्यलयों को संपादित करने के लिए यदि संस्था या भवन या स्टॉफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपबन्ध-करीना होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

१ आर. आर. अडिखार १  
अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. 73 - 720-3/2005

भोपाल, दिनांक 30 जून 2005

1. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. शासन।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - खानगिर, मध्यप्रदेश।
3. प्राचार्य, अना/अ.टी.एस. बालिक स्कूल आदिपुर, जिला खानगिर की ओर तृत्वार्थ एवं अवकाशक कार्यवाही हेतु संज्ञा।

अवर सचिव

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

//मानकर//  
30.12.04